# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
## पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2022/110**
दायरा तिथि : 07.04.2022
आदेश तिथि : 24-02-26
प्रार्थी :–

अब्दुल सलीम पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी बेडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. छगनलाल पुत्र. बाबुलाल जाति ढोली के कायम मुकाम
   1/1 प्रकाशकुमार पुत्र छगनलाल
   1/2 विक्रम कुमार पुत्र छगनलाल
   1/3 श्रीमती निली पुत्री छगनलाल
   1/4 श्रीमती बिन्दु पुत्री छगनलाल
   1/5 श्रीमति हषा पुत्री छगनलाल
   1/6 श्रीमति खिंची पुत्री छगनलाल
   1/7 श्रीमति पुष्पा पुत्री छगनलाल
   जातिगण ढोली निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली
2. मीठालाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति ढोली निवासी बेडा
3. मोहनलाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति ढोली निवासी बेडा
4. श्रीमति दाखु पत्नि श्री देवाजी जाति ढोली निवासी बेडा
5. प्रवीण कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति ढोली निवासी बेडा
6. लक्ष्मणलाल पुत्र श्री देवाजी जाति ढोली निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने**

आदेश दिनांकः 24-02-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा I पटवार हल्का बेडा I तहसील बाली के खसरा नंबर 1736 रकबा 0.9700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बेडा I पटवार हल्का बेडा I तहसील बाली के खसरा नंबर 1737 रकबा 0.91 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा I को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1848 दिनांक 21.06.2022 से खसरा न. 737 दक्षिण पूर्वी माठ खसरा न. 1738/4736 से लगता हुआ 264 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया प्रकरण में तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी वरजु की मृत्यु होने से उनके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण में तलवी पुर्ण की गयी। प्रकरण में तलवी पूर्ण होने के पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत प्रस्तावित मार्ग में अप्रार्थी द्वारा बोरवेल खुदवाकर एवं प्रस्तावित रास्ता के रूट में कमरा निर्माण करने से पुनः रिपोर्ट मगांये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात न्यायालय निदेषिका दिनांक 05.02.2024 से पुनः रिपोर्ट मगाये जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय आदेश की अनुपालना में निरिक्षक भु अभिलेख बेडा एवं तहसीलदार बाली ने पुनः मौका निरिक्षण करते हुए मौका जांच रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/3078 दिनांक 05.03.2004 से पुनः रिपोर्ट पेश की। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार

1. यह है कि पूर्व में प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर खसरा न. 1737 के खातेदार द्वारा बोरवेल व पक्का निर्माण करने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई है। खसरा न. 1737 के पूर्वी माठ पर खातेदार द्वारा पक्का कमरा व बोरवेल खोदे जाने के उपरान्त उक्त खसरे के पश्चिमी माठ की तरफ रास्ता दिया जा सकता है। आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2022/110**
अनवान अब्दुल सलीम बनाम छगनलाल वगैरा
***अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955***

2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।(पूर्व मे प्रेषित रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के बाद)
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | 0.91 | बारानी दोयम | 116X04=464 वर्गमीटर | 1. श्री छगनलाल पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/8<br>2. श्रीमति दाखु पत्नि देवा हिस्सा 1/6<br>3. श्री प्रवीण कुमार पुत्र देवा हिस्सा 1/6<br>4. श्री मीठालाल पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/8<br>5. श्री मोहनलाल पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/8<br>6. श्री लक्षमणलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/8<br>7. श्री वरजुदेवी पत्नि बाबुलाल हिस्सा 1/8 जातिगण ढोली निवासी बेडा-1 तहसील बाली जिला पाली |

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,63,443/- रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

तहसीलदार बाली से रास्ते हेतु रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण लक्षमणलाल, प्रवीणकुमार पुत्रगण देवाजी की ओर से अधिवक्ता श्री मूल सिंह यादव द्वारा पुनः आपत्ति पेश कर दलील दी कि तहसलीदार बाली व उसके प्रतिनिधियों रास्ते का प्रस्तावित मौका अप्रार्थी की मोजुदगी में नही देखा एवं अप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा न. 1737 के उत्तरी दिशा में खसरा न 1736 प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए सम्पूर्ण रास्ता प्रस्तावित कर दिया। उक्त रास्ता खसरा न. 1737 से होते हुए खसना न. 1824 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि तक दर्शाया है जबकि निकटतम रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा न 1736 मे जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा न० 1737 के उत्तरी दिशा या खसरा न. 1731 में से होता हुआ खसरा न. 1730/1 नारायणलाल पुत्र ओटा जी मीणा की खातेदारी भूमि में से होता हुआ खसरा न० 1730/2 से खसरा न० 1824 गै.मु. रास्ते की भूमि तक जाता है, उक्त रास्ते को रिपोर्ट में नही दर्शा कर केवल अप्रार्थी को क्षतिकारित करने के लिए रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि रास्ते के लिए सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी के खातेदारी मे से होकर दर्शायी है, जो विधिसम्मत नही होने से पटवारी हल्का बेडा से पुनः रिपोर्ट मगाये जाने का निवेदन किया साथ ही मौका स्वयं या तहसीलदार बाली से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एव खसरा न. 1731, 1730/1 के खातेदारान की उपस्थिति में दिखाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की आपत्ति का जवाब प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता देना नही चाहता है एवं आपत्ति पेश कर पडोस स्थित आबादी भूमि खसरा न 1730/1 से 1730/2 से रास्ता देने की बात कर रहे है जबकि खसरा न० 1730/1 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि का आवासीय परियोजनार्थ पटटा तहसीलदार बाली के आदेश क्रमांक एफ12(3)/राज/स. प./2016/163 दिनांक 27.1.2016 से जारी किया हुआ है। आबादी भूमि से विधिक प्रावधानो के अनुसार धारा 251ए के तहत रास्ता नही दिया जा सकता है। जिससे अप्रार्थीगण के आपत्ति निरर्थक होने व प्रकरण में पहले से दो बार रिपोर्ट तहसीलदार बाली से प्राप्त हो जाने से बार-बार अनावश्यक एतराज होने के आधार पर पुनः रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायसंगत नही है। प्रार्थी को रास्ते का आवेदन प्रस्तुत किये हुये 4 वर्ष का समय व्यतित होने को आया है परन्तु अभी तक रास्ते का आदेश नही हुआ है जबकि रास्ते का प्रार्थना पत्र summary proceeding की श्रेणी में आने तथा अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निस्तारण के प्रावधान मौजुद होते हुए अकारण ही प्रकरण लंबित है अतः तहसीलदार बाली व निरिक्षक भू अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात अधिवक्ता अप्रार्थी की आपत्ति को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख न. 1736 में आवागमन तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/3078 दिनांक 05.03.2024 के अनुरूप तैयार नक्शा के अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख न. 1737 मे से ख. न. 1731 व 1730/1

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........03

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2022/110**
अनवान अब्दुल सलीम बनाम छगनलाल वगैरा
***अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955***

की सीमा से लगता हुआ ख. न. 1824 गै.मु रास्ता तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06. 2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा I पटवार हल्का बेडा I तहसील बाली के खसरा नंबर 1736 रकबा 0.9700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा I पटवार हल्का बेडा I तहसील बाली के खसरा नंबर 1737 रकबा 0.91 हैक्टर में से **464 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राषि की डी.एल.सी. दर 2,63,443/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राषि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | 0.91 | 116X04=464 वर्गमीटर | **26.3443** | **12223.7552X2=24448** | **प्रवीण कुमार पुत्र देवा जाति ढोली वगैरा जमाबन्दी में दर्ज अनुसार** |

**प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 24448/– (अक्षरे चौबीस हजार चार सौ अडतालिस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली
बाली
दिनांक : 26.2.2026

क्रमॉक/कोर्ट/2026/334 – 338
**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–**

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा।
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अब्दुल सलीम पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी बेडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी,बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

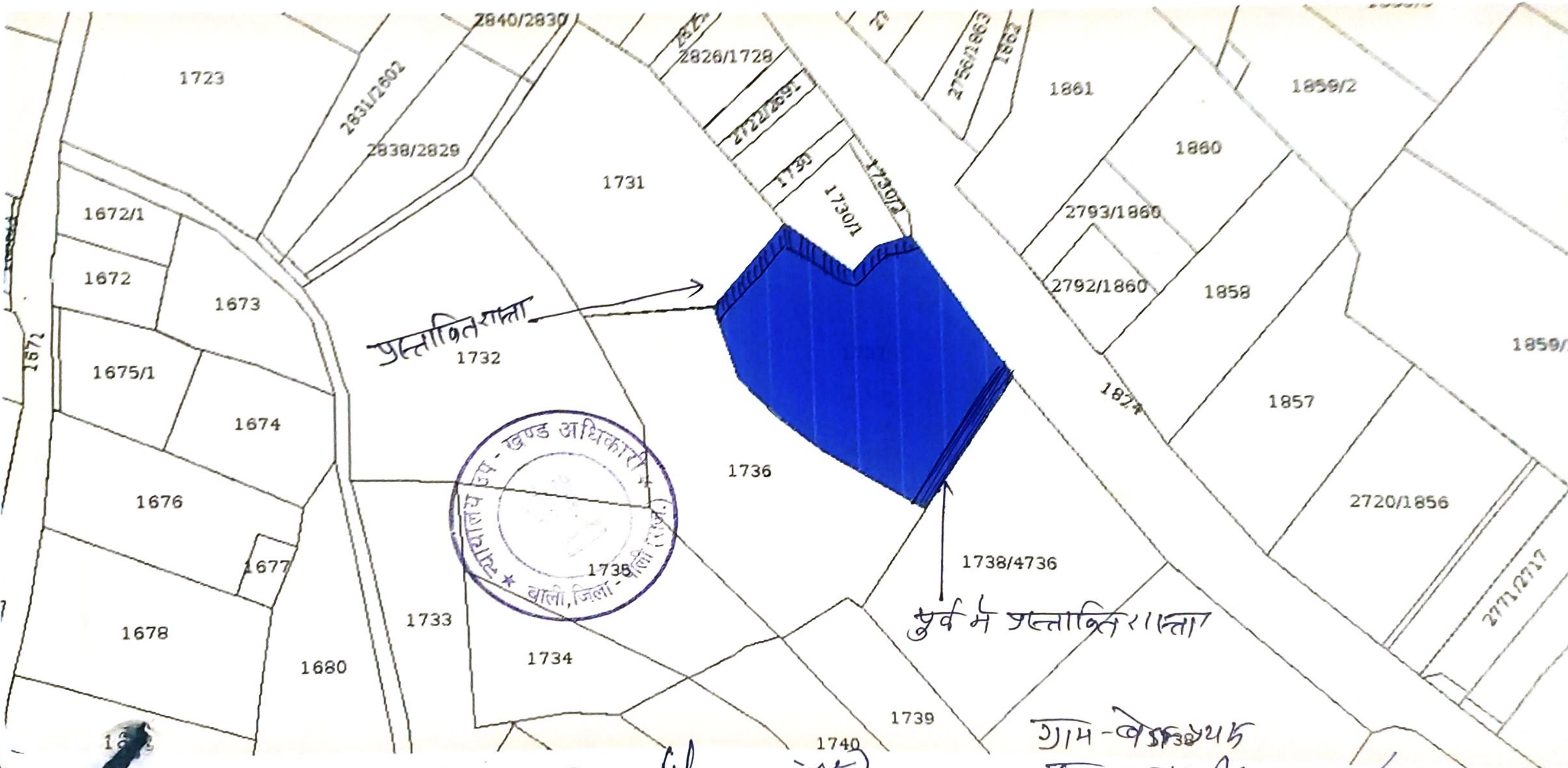
2840/2830
1723
2831/2602
2838/2829
2826/1728
2722/2691
1730
1730/1
1730/2
2756/1863
1862
1861
1859/2
1860
2793/1860
2792/1860
1858
1731
1672/1
1672
1673
1671
1675/1
1674
1676
1677
1678
1680
1732
प्रस्तावित रास्ता
1736
1735
1733
1734
1738/4736
1739
1740
1874
1857
2720/1856
2771/2717
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार,बाली